भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1161
03 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

भारत में मछुआरों का कल्याण

1161. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में मछुआरों की कुल संख्या का राज्य-वार, जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मछुआरों को कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई योजना शुरू की हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर में लाभार्थी, वित्त पोषण और उपयोग संबंधी जिला-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में कुल कितने मछुआरों ने बीमा लाभ प्राप्त किए हैं और बीमा के रूप में दावा की गई और संवितरित की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान मछुआरों के लाभार्थ सरकार द्वारा शुरू की गई अवसंरचना परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी परियोजनाओं की सूची, वर्तमान स्थिति तथा राज्य-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में मछुआरों की कुल जनसंख्या 2,81,12,944 है। आंध्र प्रदेश ने रिपोर्ट किया है कि कुल 15,46,004 लोग मात्स्यिकी में संलगन हैं, जिनमें नेल्लोर जिले में 1,81,222 लोग शामिल हैं। मछुआरों का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख): पीएमएमएसवाई अन्य बातों के साथ-साथ प्रशिक्षण, जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों और हितधारकों विशेष रूप से मछुआरों, मत्स्य किसानों, मत्स्य श्रमिकों, मत्स्य विक्रेताओं, उद्यमियों, अधिकारियों, मत्स्य सहकारी समितियों और मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (एफ.एफ.पी.ओ.) के सदस्यों आदि के लिए एक्स्पोशर दौरों के माध्यम से प्रशिक्षण, कौशल विकास, कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। उक्त योजना के तहत राज्यवार प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का विवरण अनुबंध-II में है और नेल्लोर जिले संबंधी विवरण अनुबंध-III में है।

(ग): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत मछुआरों और मत्स्य किसानों को समूह दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करती है, जिसमें पूरी बीमा प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है, जिसमें लाभार्थी का कोई योगदान नहीं होता है। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली बीमा कवरेज में (i) मृत्यु या स्थायी पूर्ण शारीरिक अक्षमता के लिए 5,00,000 रुपए /-, (ii) स्थायी आंशिक शारीरिक अक्षमता के लिए 2,50,000 रुपए /- और (iii) दुर्घटना की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए 25,000 रुपए /- की राशि शामिल है। विगत तीन (2021-22 से 2023-24 तक) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2024-25) के दौरान, 132.59 लाख मछुआरों को योजना के तहत बीमा कवरेज प्रदान किया गया है जिसमें सहायता प्रदत्त मछुआरों का सालाना औसतन 33.14 लाख है । परिणामस्वरूप, अब तक 1582 प्राप्त दावा प्रस्तावों के सापेक्ष 960 दावों का निपटारा किया जा चुका है, और दावा निपटान राशि 46.78 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश के संबंध में, राज्य ने विगत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त योजना के तहत समूह दुर्घटना बीमा योजना (जी.ए.आई.एस.) में भाग लेने की इच्छा प्रकट नहीं की है। विगत तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2024-25) के दौरान उक्त योजना के तहत नामांकित मछुआरों, प्राप्त दावा प्रस्तावों, निपटाए गए दावों का राज्यवार विवरण अनुबंध-IV में है।

(घ) और (ड.): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना की प्रमुख योजना के तहत इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे फिशिंग हार्बर का निर्माण, फिश लैंडिंग सेंटर, मौजूदा फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण/उन्नयन और फिशिंग हार्बर की मेंटेनेन्स ड्रेजिंग के लिए इस घटक के अंतर्गत 2020-21 से 2024-25 तक पांच साल की अवधि के लिए 3490 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है । फिशिंग हारबर और फिश लैंडिंग सेन्टर्स , इनफ्रास्ट्रक्चर विकास में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और इसे पीएमएमएसवाई के तहत सहायता प्रदान की जाती है । ऐसी फिशरीज़ इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को केंद्र और संबंधित राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में लागत साझा करने के आधार पर लिया जाता है। इसके लिए संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्य के अंश की उपलब्धता, आवश्यक भूमि और मंजूरी की पुष्टि के साथ तकनीकी-वित्तीय व्यवहार्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा, मत्स्य पालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (एफ.आई.डी.एफ.) ऐसी फिशरीज़ इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के निर्माण के लिए रियायती वित्त भी प्रदान करता है।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने पीएमएमएसवाई के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1771.87 करोड़ रुपए की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ 3184.27 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 58 फिशिंग हार्बर, फिश लैंडिंग सेंटर और ड्रेजिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। स्वीकृत परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और कार्य प्रगति पर हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सहित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में स्वीकृत सभी फिशिंग हार्बर, फिश लैंडिंग सेंटर और ड्रेजिंग परियोजनाओं की सूची परियोजना लागत और केंद्रीय हिस्सेदारी के विवरण के साथ अनुबंध V में दी गई है।

****

अनुबंध- I

'भारत में मछुआरों का कल्याण' के संबंध में 3 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1161 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में मछुआरों की जनसंख्या का ब्यौरा

क्र. सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**मछुआरों की जनसंख्या**
1	आंध्र प्रदेश	15,46,004
2	अरुणाचल प्रदेश	24,015
3	असम	25,24,106
4	बिहार	60,27,375
5	छत्तीसगढ	2,20,355
6	गोवा	10,545
7	गुजरात	5,58,691
8	हरियाणा	1,18,455
9	हिमाचल प्रदेश	11,806
10	झारखंड	1,40,897
11	कर्नाटक	9,74,277
12	केरल	10,44,361
13	मध्य प्रदेश	22,32,822
14	महाराष्ट्र	15,18,228
15	मणिपुर	47,711
16	मेघालय	16,567
17	मिजोरम	6,289
18	नागालैंड	7,958
19	ओडिशा	15,17,574
20	पंजाब	7,591
21	राजस्थान	57,260
22	सिक्किम	581
23	तमिलनाडु	12,83,751
24	तेलंगाना	8,62,221
25	त्रिपुरा	7,761
26	उत्तराखंड	8,352
27	उत्तर प्रदेश	39,00,005
28	पश्चिम बंगाल	32,36,261
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25,941
30	चंडीगढ़	524
31	दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव	40,106
32	दिल्ली	3,346
33	जम्मू और कश्मीर	17,396
34	लद्दाख	22
35	लक्षद्वीप	6,518
36	पुदुचेरी	1,07,272
	अखिल भारत	**2,81,12,944**

अनुबंध-II

'भारत में मछुआरों का कल्याण' के संबंध में 3 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1161 के उत्तर में उल्लिखित विवरण: 2020-21 से 2024-25 तक पीएमएमएसवाई के अंतर्गत किए गए प्रशिक्षण और अन्य आउटरीच गतिविधियों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	अंडमान और निकोबार	16	440	6.51
2	आंध्र प्रदेश	175	9830	201.35
3	अरुणाचल प्रदेश	1	50	0.25
4	असम	147	8555	88.29
5	बिहार	15	500	7.85
6	छत्तीसगढ	42	1920	38.56
7	दिल्ली	740	140000	89.5
8	गोवा	10	950	3
9	गुजरात	6	1100	9.47
10	हरियाणा	10	335	6.24
11	हिमाचल प्रदेश	62	3440	28.84
12	जम्मू और कश्मीर	30	2920	15.51
13	झारखंड	22	490	21.01
14	कर्नाटक	140	10150	121.15
15	केरल	265	11530	145.765
16	लद्दाख	4	200	2.1
17	मध्य प्रदेश	60	4315	46.41
18	महाराष्ट्र	42	4160	28.96
19	मणिपुर	42	1975	24.2025
20	मेघालय	25	2020	12.02
21	मिजोरम	42	2060	26.73
22	नागालैंड	19	600	15.91
23	ओडिशा	91	3940	56.27
24	पुदुचेरी	13	1270	10.57
25	पंजाब	20	1650	7.17
26	राजस्थान	69	3420	41.22
27	सिक्किम	35	4295	28.72
28	तमिलनाडु	155	12370	147.04894
29	तेलंगाना	290	10420	426.195
30	त्रिपुरा	39	1800	28.69
31	उत्तर प्रदेश	114	4575	57.19
32	पश्चिम बंगाल	92	5460	64.02
	कुल	**2,833.00**	**2,56,740.00**	**1,806.72**

अनुबंध-III

'भारत में मछुआरों का कल्याण' के संबंध में 3 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1161 के उत्तर में उल्लिखित विवरण: नेल्लोर में उक्त योजना के अंतर्गत किए गए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम का विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम	स्वीकृत राशि (रुपए लाख में)	लाभान्वित मछुआरों की संख्या
(i)	सागरपरिक्रमा के दौरान पीएमएमएसवाई घटकों का लाभ उठाने के बारे में जागरूकता	9.475	2,100
(ii)	3 मत्स्य खाद्य महोत्सवों के दौरान मूल्य वर्धित उत्पादों पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण	15.00	9,590
(iii)	"घरेलू मत्स्य उपभोग" पर जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.28	110
(iv)	मछुआरों के लिए एक्वा कल्चर की नई तकनीक आदि पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।	4.76	500

अनुबंध-IV

'भारत में मछुआरों का कल्याण' के संबंध में 3 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1161 के उत्तर में उल्लिखित

विवरण: विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कवर किए गए पीएमएमएसवाई-जीएआईएस का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

क्र. सं.	नाम	बीमित मछुआरों की संख्या	राज्य का अंश (रुपए लाख में)	केंद्रीय अंश (रुपए लाख में)	कुल प्रीमियम राशि (रुपए लाख में)	प्राप्त दावा सूचनाएं	प्राप्त दावा प्रस्ताव	निपटाये गये दावे
1	बिहार	6,00,000	168.38	252.53	420.92	16	5	1
2	छत्तीसगढ़	8,81,855	246.98	370.43	617.41	32	19	6
3	गोवा	11,040	3.42	5.13	8.55	0	0	0
4	हरियाणा	6,576	1.90	2.84	4.74	2	1	0
5	झारखंड	6,62,941	177.24	265.82	443.06	10	6	1
6	कर्नाटक	2,82,272	88.48	132.72	221.20	53	22	5
7	मध्य प्रदेश	3,76,482	126.71	190.05	316.76	22	10	0
8	ओडिशा	45,43,618	1,469.31	2,203.74	3,673.05	106	79	48
9	पंजाब	12,477	4.05	6.08	10.13	0	0	0
10	तमिलनाडु	21,99,335	682.30	1,023.31	1,705.61	688	532	325
11	तेलंगाना	14,32,656	468.05	702.01	1,170.05	1,039	780	535
12	उतार प्रदेश	3,99,275	121.36	182.04	303.40	24	9	2
13	महाराष्ट्र	2,91,159	81.26	121.88	203.14	26	12	3
14	गुजरात	3,81,237	117.28	175.90	293.18	41	28	5
15	राजस्थान	18,925	5.67	8.50	14.17	3	2	2
16	पश्चिम बंगाल	8,499	2.46	3.69	6.16	3	0	0
	उप कुल	**1,21,08,347**	**3,764.84**	**5,646.68**	**9,411.53**	**2,065**	**1,505**	**933**
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य								
1	अरुणाचल प्रदेश	2,756	0.19	1.73	1.92	1	0	0
2	असम	6,83,630	48.48	436.26	484.74	26	5	3
3	हिमाचल प्रदेश	43,990	3.51	#VALUE	35.12	11	7	4
4	सिक्किम	2,086	0.17	1.53	1.70	0	0	0
5	त्रिपुरा	71,065	5.93	53.36	59.29	5	2	0
6	उत्तराखंड	12,865	1.02	9.17	10.19	0	0	0
7	मेघालय	3,057	0.25	2.26	2.51	0	0	0
8	मणिपुर	7,034	0.42	3.81	4.23	0	0	0
	उप कुल	**8,26,483**	**59.97**	**539.71**	**599.69**	**43**	**14**	**7**
केंद्र शासित प्रदेश								
1	अंडमान और निकोबार	52,859	0.00	42.50	42.50	20	12	3
2	दिल्ली	1,381	0.00	1.14	1.14	0	0	0
3	दमन और दीव	30,178	0.00	24.46	24.46	0	0	0
4	जम्मू और कश्मीर	95,806	0.00	78.48	78.48	7	4	2
5	लद्दाख	265	0.00	0.22	0.22	0	0	0
6	लक्षद्वीप	10,590	0.00	8.57	8.57	3	1	0
7	पुदुचेरी	1,33,395	0.00	108.38	108.38	61	46	15
	उप कुल	**3,24,474**	**0.00**	**263.76**	**263.76**	**91**	**63**	**20**
	कुल योग	**1,32,59,304**	**3,824.82**	**6,450.16**	**10,274.98**	**2,199**	**1,582**	**960**

अनुबंध- V

03 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी, माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1161 के भाग (ड) के उत्तर में संदर्भित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के केंद्रीय प्रायोजित घटक और केंद्रीय क्षेत्र घटक के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्वीकृत राज्यवार फिशिंग हार्बर/फिश लैंडिंग सेंटर परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	घटक	स्थान	परियोजना लागत (रुपए करोड़ में)	केंद्रीय अंश (रुपए करोड़ में)
1	पश्चिम बंगाल	फिशिंग हार्बर	1. पेटुआघाट फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण और उन्नयन	43.17	25. 9
		फिशिंग हार्बर	2. शंकरपुर फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण और उन्नयन	44.70	26.82
		फिशिंग हार्बर	3. फ्रेजरगंज फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण और उन्नयन	7.05	4.23
		फिशिंग हार्बर	4. काकद्वीप फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण और उन्नयन	14.50	8.7
2	ओडिशा	फिशिंग हार्बर	1. पारादीप फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण	108.91	108.91*
		फिशिंग हार्बर	2. नुआगढ़ (अस्त्रांगा) में स्टेज-II फिशिंग हार्बर	82.86	49.72
3	आंध्र प्रदेश	फिशिंग हार्बर	1. विशाखापत्तनम फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण	178.51	150.96*
		फिशिंग हार्बर	2. पुदीमदका फिशिंग हार्बर का विकास	387.00	80
		फिशिंग हार्बर	3. बुद्दुगाटलापलेम फिशिंग हार्बर का विकास	386.20	80
		फिशिंग हार्बर	4. कोथापट्टनम फिशिंग हार्बर का विकास	364.00	80
		फिश लैंडिंग सेंटर	5. भीमिली फिश लैंडिंग सेंटर का विकास	24.86	14.92
		फिश लैंडिंग सेंटर	6. चिंतापल्ली फिश लैंडिंग सेंटर का विकास	23.74	14.24
		फिश लैंडिंग सेंटर	7. राजय्यापेटा फिश लैंडिंग सेंटर का विकास	24.77	14.86
		फिश लैंडिंग सेंटर	8. रायदारुवु फिश लैंडिंग सेंटर का विकास	23.90	14.34
		फिश लैंडिंग सेंटर	9. डोंडावाका फिश लैंडिंग सेंटर का विकास	23.90	14.34
		फिश लैंडिंग सेंटर	10. उप्पलंका फिश लैंडिंग सेंटर का विकास	5.74	3.44
4	तमिलनाडु	फिशिंग हार्बर	1. चेन्नई फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण	97.95	97.95
		फिशिंग हार्बर	2. पझ्झायार फिशिंग हार्बर का उन्नयन	26.26	15.76
		फिशिंग हार्बर	3. कोलाचेल फिशिंग हार्बर का रखरखाव ड्रेजिंग	4.94	2.96
		फिश लैंडिंग सेंटर	4. नेट्टुकुप्पमफिश लैंडिंग सेंटर का विकास	15.70	9.42
		फिश लैंडिंग सेंटर	5. तजानकुप्पम फिश लैंडिंग सेंटर का विकास	3.92	2.35
		फिश लैंडिंग सेंटर	6. आरंगनकुप्पम फिश लैंडिंग सेंटर का विकास	3.40	2.04
		फिश लैंडिंग सेंटर	7. गुनानकुप्पम फिश लैंडिंग सेंटर का विकास	3.40	2.04
5	पुदुचेरी	फिशिंग हार्बर	1. थेंगैथिट्टू में फिशिंग हार्बर का विकास	53.39	53.39
		फिशिंग हार्बर	2. पुडुचेरी के कराईकल में स्मार्ट और एकीकृत फिशिंग हार्बर का विकास	119.94	119.94
		फिश लैंडिंग सेंटर	3. पेरियाकलपेट फिश लैंडिंग सेंटर का विकास	20.14	20.14
		फिश लैंडिंग सेंटर	4. नल्लावडु फिश लैंडिंग सेंटर का विकास	18.94	18.94

क्र. सं.	राज्य का नाम	घटक	स्थान	परियोजना लागत (रुपए करोड़ में)	केंद्रीय अंश (रुपए करोड़ में)
6	केरल	फिशिंग हार्बर	1. कोचीन फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण	169.17	113.32*
		फिशिंग हार्बर	2. कासरगोड फिशिंग हार्बर का विस्तार	70.53	42.32
		फिशिंग हार्बर	3. मुथलापोझी फिशिंग हार्बर का विस्तार	177.00	106.2
		फिशिंग हार्बर	4. पोन्नानी फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण और उन्नयन	18.73	11.24
		फिशिंग हार्बर	5. पुथियप्पा फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन	16.06	9.64
		फिशिंग हार्बर	6. कोयिलैंडी फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण और उन्नयन	20.90	12.54
		फिशिंग हार्बर	7. मौजूदा कायाकुलम फिशिंग हार्बर का रखरखाव ड्रेजिंग	5.53	3.00
		फिशिंग हार्बर	8. मौजूदा चेट्टुवा फिशिंग हार्बर का रखरखाव ड्रेजिंग	5.53	3.00
		फिशिंग हार्बर	9. मौजूदा पोन्नानी फिशिंग हार्बर का रखरखाव ड्रेजिंग	6.37	3.00
		फिशिंग हार्बर	10. मौजूदा बेपोर फिशिंग हार्बर का रखरखाव ड्रेजिंग	5.94	3.00
		फिशिंग हार्बर	11. मौजूदा पुथियाप्पा फिशिंग हार्बर का रखरखाव ड्रेजिंग	5.64	3.00
		फिशिंग हार्बर	12. मौजूदा कोयिलैंडी फिशिंग हार्बर का रखरखाव ड्रेजिंग	5.88	3.00
7	महाराष्ट्र	फिशिंग हार्बर	1. माललेट बंदर मझगांव का विकास	96.60	96.60*
		फिश लैंडिंग सेंटर	2. शिरोडा फिश लैंडिंग सेंटर का विकास	15.24	9.14
		फिश लैंडिंग सेंटर	3. डांडीमकरेबैग फिश लैंडिंग सेंटर का विकास	4.52	2.71
		फिश लैंडिंग सेंटर	4. तरामुम्बरी फिश लैंडिंग सेंटर का विकास	7.76	4.66
		फिश लैंडिंग सेंटर	5. दाभोल फिश लैंडिंग सेंटर का विकास	9.39	5.63
		फिश लैंडिंग सेंटर	6. कोरलाई फिश लैंडिंग सेंटर का विकास	7.65	4.59
		फिश लैंडिंग सेंटर	7. पालशेत फिश लैंडिंग सेंटर का विकास	8.34	5.00
		फिश लैंडिंग सेंटर	8. रेवदंडा फिश लैंडिंग सेंटर का विकास	45.96	15.00
		फिश लैंडिंग सेंटर	9. असगोली फिश लैंडिंग सेंटर का विकास	8.83	5.30
		फिश लैंडिंग सेंटर	10. बुधल फिश लैंडिंग सेंटर का विकास	6.57	3.94
8	कर्नाटक	फिशिंग हार्बर	1. मैंगलोर एफएच का आधुनिकीकरण और उन्नयन	37.47	22.48
		फिशिंग हार्बर	2. मालपे फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण	12.52	7.51
		फिशिंग हार्बर	3. गंगोली फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण	22.18	13.30
		फिशिंग हार्बर	4.अमदल्ली फिशिंग हार्बर में रखरखाव ड्रेजिंग	5.61	3.00
		फिशिंग हार्बर	5. ताडारी फिशिंग हार्बर में ड्रेजिंग कार्य	2.65	1.59
		फिश लैंडिंग सेंटर	6. हरवाड़ा और बेलेकेरी फिश लैंडिंग सेंटर में ड्रेजिंग का रखरखाव	4.14	2.48
9	असम	फिश लैंडिंग सेंटर	1. चुनारी फिश लैंडिंग सेंटर का विकास	19.91	17.91
10	गुजरात	फिशिंग हार्बर	1. जखाऊ, कच्छ में स्मार्ट और इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर का विकास	121.00	72.60
11	दादर नगर हवेली, दमन, दीव केंद्रशासित प्रदेश	फिशिंग हार्बर	1. वनकबारा, दीव में स्मार्ट और इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर का विकास	128.86	128.86
			कुल	**3184.27**	**1771.87**

***** इसमें मत्स्यपालन विभाग, पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा पोर्ट एथोरीटी का हिस्सा शामिल है।